रजिस्टर्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3

संख्या-110के-2/22-3-2025-17(341)/24

लखनऊ : दिनांक: 25 जनवरी, 2025

शुद्धिपत्र

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-89के-2/22-3-2024-17(341)/24, दिनांक 24-01-2025 द्वारा स्थाई नीति के अन्तर्गत मजदूर दिवस (01 मई, 2024) के अवसर पर दयायाचिका के आधार पर केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सर्वेन्द्र (बन्दी संख्या-24173) पुत्र श्री दुर्वीन सिंह, निवासी नगला चेतराम, थाना-सिढपुरा, जनपद-एटा वर्तमान-कासगंज को कारागार से मुक्त किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त आदेश की 8वीं पंक्ति में सत्र परीक्षण संख्या-494/1997 के स्थान पर सत्र परीक्षण संख्या-454/1997 टंकण त्रुटिवश अंकित हो गया है।

2- अतएव उक्त आदेश में अंकित सत्र परीक्षण संख्या-454/1997 के स्थान पर सत्र परीक्षण संख्या-494/1997 पढ़ा जाये।

3- उक्त संदर्भगत आदेश दिनांक 24-01-2025 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। साथ ही उक्त आदेश की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

3- महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

4- जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज।

5- पुलिस अधीक्षक, कासगंज।

6- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ को उनके ई-मेल पत्र संख्या-432-33/ए0आर0/25, दिनांक 24-01-2024 के संदर्भ में।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in